न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}
प्रकरण संख्या : 104/2019
कुलविन्द्र कौर आदि बनाम गुरप्रीत कौर आदि
प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी
(अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए)

--आदेश--

दिनांक : 06.09.2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण(प्रतिवादीगण) के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हस्तगत वाद में वादीगण के द्वारा तथाकथित वसीयत दिनांक 29.10.2009 के आधार पर वादिया संख्या 1 कुलविन्द्र कौर, को नाजर सिंह की भूमि का खातेदार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। तथाकथित वसीयतकर्ता नाजर सिंह की मृत्यू दिनांक 24.03.2012 को हो चुकी थी और नाजर सिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि का विरासतन नामांतरण दिनांक 21.12.2015 को स्वीकृत हुआ है। यदि वादिया संख्या 1 कुलविन्द्र कौर के पक्ष में तथाकथित वसीयत नाजर सिंह के द्वारा वास्तव में निष्पादित की होती तो वसीयतग्रहिता कुलविन्द्र कौर के द्वारा उक्त दस्तावेजात के आधार पर संबधित अधिकृत प्राधिकारी तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर के समक्ष वसीयत नामातंरण हेतु अवश्य कोई कार्यवाही की होती। इससे स्पष्ट है कि तथाकथित वसीयत फर्जी व कूटरचित तैयार की गयी है। हस्तगत प्रकरण में वादगत भूमि के हम प्रतिवादीगण के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर नामातंरण संख्या 407 व 460 दर्ज हुए है। जब तक पंजीकृत विक्रय पत्रों को सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाती है, तब तक उक्त पंजीकृत दस्तावेजो के आधार पर निष्पादित नामांतरण को रद करने की कार्यवाही माननीय न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। पंजीकृत दस्तावेजात के संबध में माननीय न्यायालय को सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार हासिल नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण(वादीगण) का वादपत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की नकल अधिवक्ता अप्रार्थीगण(वादीगण) को दिलवाई गई। अधिवक्ता अप्रार्थीगण(वादीगण) के द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वसीयत दिनांक 29.10.2009 को नाजर सिंह द्वारा अपने पूर्ण होश-हवास में वसीयत की गई है। प्रतिवादीगण ने सरपंच से मिलीभगत कर वसीयत की सत्यता को छिपाते हुए तथाकथित इन्तकाल नम्बर 410 दिनांक 21.12.2012 को दर्ज करवा लिया। तथाकथित विरासतन इन्तकाल सरपंच द्वारा स्वीकृत किया गया है। जिसकी सुनवाई का अधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। यह कहना गलत है कि नामान्तरण संख्या 407, 460 रद्द करने का अधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त ना हो। सही तथ्य इस प्रकार से है, कि माननीय न्यायालय को तथाकथित विक्रय पत्र के आधार पर इन्तकाल संख्या 407, 460 को रद्द करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रकरण में विधि एंव तथ्य का मिश्रित बिन्दू निहित होने के कारण तनकी बनाकर एंव पक्षकारों को सुनकर ही निस्तारण विधिवत किया जा सकता है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने योग्य है।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) के द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि वाद पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जावे। अप्रार्थीगण(वादीगण) अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज किए जाने बाबत निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा प्रार्थना पत्र पर अवलोकन किया। प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी मे निवेदन किया है कि हस्तगत प्रकरण में वादगत भूमि के हम प्रतिवादीगण के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर नामातंरण संख्या 407 व 460 दर्ज हुए है। जब तक पंजीकृत विक्रय पत्रों को सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाती है, तब तक उक्त पंजीकृत दस्तावेजो के आधार पर निष्पादित नामांतरण को रद करने की कार्यवाही माननीय न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। पंजीकृत दस्तावेजात के संबध में माननीय न्यायालय को सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार हासिल नहीं है। इसलिए वाद पत्र खारिज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 सीपीसी मे यह प्रावधान है कि वाद पत्र निम्नलिखित दशाओं मे ना मंजूर कर दिया जाएगा-

1. जहां वह वाद हेतुक प्रकट नही करता।
2. जहां दावाकृत मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा आपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने मे असफल रहता है।
3. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पेपर पर लिखा गया है और वादी आपेक्षित स्टाम्प पत्र देने के लिए न्यायालय द्वारा आपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय मे नियम किया है ऐसा करने मे असफल रहता है।
4. जहां वाद पत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे यह उल्लेख किया गया है कि वाद विधिक प्रावधानों के विपरीत है। इसलिए वादपत्र खारिज किया जावे। वादीगण का वाद विधिक प्रावधानों के विपरीत है या नहीं, इसके लिए वाद पत्र का अवलोकन किया गया। वादीगण के द्वारा वाद पत्र में चक 3 आर के खाता संख्या 14 के मुरब्बा नम्बर 28 की 2.530 हैक्टेयर व खाता संख्या 39 के मुरब्बा नम्बर 4, 5 की 1.569 हैक्टेयर, कुल 4.099 हैक्टेयर भूमि के पंजीकृत बैयनामा बहक लवप्रीत सिंह का इन्तकाल संख्या 410 दिनांक 21.05.2023 को निरस्त करने, व चक 3 आर के खाता संख्या 13 के मुरब्बा नम्बर 29 की 0.506 हैक्टेयर, खाता संख्या 14 के मुरब्बा नम्बर 28 की 0.844 हैक्टेयर, व खाता संख्या 15 के मुरब्बा नम्बर 29 की 0.189 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 68 के मुरब्बा नम्बर 4, 5 की 0.523 हैक्टेयर भूमि कुल 2.062 हैक्टेयर भूमि के पंजीकृत बैयनामा बहक गुरप्रीत कौर इन्तकाल संख्या 460 दिनांक 21.05.2013 को निरस्त कर खातेदार घोषित किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष पंजीकृत बैयनामा को निरस्त कर ही दिया जा सकता है और पंजीकृत बैयनामा को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण(वादीगण) का वादपत्र विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए, इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। प्रार्थना पत्र सामिल पत्रावली रहे।

आदेश आज दिनांक 06.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर मंय पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज़ अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम आर.ए.एस.

कुलविन्द्र कौर आदि बनाम गुरप्रीत कौर आदि
धारा अन्तर्गत **88, 188 आरटीए** मुकदमा नम्बर **104/2019**
निर्णय दिनांक :- 06.09.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा एवं प्रतिवादी अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किए जाने पर खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 06.09.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**04**	00

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर